THE CHHATTISGARH BHUMI VIKAS RULES, 1984

- 22. Withdrawal of application. The owner may withdraw his application and plans at any time before sanction and such withdrawal shall terminate all proceedings with respect to such application. In the event of submission of a fresh application within a period of one year from the date of such withdrawal, the fee paid shall be adjusted towards fee payable for fresh application. In no case the fee once paid shall be refunded.
- <sup>1</sup>[23. Duration of sanction. The sanction once accorded shall remain valid upto 2 [one year]. The permission shall be got revalidated before the expiration of this period. Such revalidation may be permitted for two consecutive terms of one year each, after which proposals shall have to be submitted afresh.]
- <sup>3</sup>[24. Deviation during construction. If during the construction of a building any departure [excepting for items as given in clause (i) of proviso to sub-rule (1) of Rule 14] from the sanctioned plan is made the authority may permit such deviations at the time of issuing of occupancy permit, but no deviation, shall be permitted by the Authority relating to the following building control parameters :-
  - (a) Front M.O.S.
  - (b) Building Height
  - (c) Parking/Public utility space.]
- 25. Revocation of Permission. The Authority may revoke any permission issued under the provisions of these rules wherever there has been any false statement or any misrepresentation of any material fact in the application on which the permission was based.
- 26. Licensing of Architect/Engineer etc. 4[(1) The Authority may issue licenses in form given in Appendix C to Architects, Structural Engineers, Supervisors, Town Planners, Geo Hydrologists, Fire Officers, Construction Engineers, Geo Technical Engineers, Quality Auditors, Quality Audit Agency, Construction Management Agency who posses the minimum qualification as laid down in sub-rule (2).
- (2) The minimum qualification prescribed for the issue of license to an Architect Engineer etc. is given in column 2 against each.

	Designation	Minimum Qualification
(1) (2)	Architect Structural Engineer	Architects registered under the Architects Act, 1972 Graduate in Civil Engineering of recognised India or Foreign University and Chartered Engineer of Associate Member in Civil Engineering division

Subs. by Notfn. No. F.23 (107)-95-XXXII-(1), dated 7-4-2000.

उसके द्वारा चयन किए गए अनुमोदित मानक रेखांक को उपदर्शित करते हुए अपेक्षित फीस तथा अपने स्वामित्व दस्तावेजों सहित प्राधिकारी को आवेदन करेगा. ऐसे प्रकरण में प्राधिकारी से प्राप्त संदाय की रसीद प्राधिकत भवन अनुज्ञा मानी जाएगी परन्तु यदि भूखंड किसी अनुमोदित और प्राधिकृत अभिन्यास का भाग न हो तो अधिनियम की धारा 29 के अधीन रेखांक की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ भिम विकास नियम, 1984

22. आवेदन पत्र वापस लेना - स्वामी अपने आवेदन-पत्र तथा रेखांकों को मंजूरी से पूर्व किसी भी ममय वापस ले सकेगा और इस प्रकार की वापसी से ऐसे आवेदन पत्र के संबंध में सभी कार्यवाहियाँ समाप्त हो जायेंगी। इस प्रकार की वापसी की तारीख से एक वर्ष की कालाविध के भीतर प्रस्तुत किये गये नये आवेदन पत्र की दशा में भुगतान की गई फीस का समायोजन नये आवेदन-पत्र के लिये देय फीस के मद में किया जायेगा। किसी भी मामले में भुगतान की गई फीस वापस नहीं होगी।

1[23. मंजुरी की अवधि- एक बार दी गई मंजुरी 2[एक वर्ष] तक विधिमान्य रहेगी। अनुज्ञा को इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः विधिमान्य कराना होगा। ऐसा पुनः विधिमान्यकरण लगातार दो अवधियों के लिये जिससे प्रत्येक अवधि एक वर्ष की होगी, अनुज्ञात किया जा सकेगा, जिसके बाद नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।]

<sup>3</sup>[24. निर्माण के दौरान विचलन- यदि किसी भवन के निर्माण के दौरान स्वीकृत रेखांक से (नियम 14 के उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (एक) में दी गई मदों को छोड़कर) हटकर कार्य किया जाता है तो प्राधिकारी ऐसे विचलन को दखलकारी अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु प्राधिकारी द्वारा निम्न भवन नियंत्रण परिमानक -

- (क) सामने का सीमांत खुला क्षेत्र
- भवन ऊँचाई
- पार्किग/सार्वजनिक सुविधा के स्थान

के संबंध में किसी भी प्रकार का विचलन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।]

25. अनुज्ञा का प्रतिसंहरण - प्राधिकारी इन नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी की गई किसी भी अनुज्ञा को यदि उस आवेदन-पत्र में, जिसके आधार पर अनुज्ञा दी गई थी, किसी सारभूत तथ्य के संबंध में कोई कथन या कोई दर्व्यपदेश दिया गया हो, तो प्रतिसंहत कर सकेगा।

26. वास्तुविद्/इंजीनियर आदि की अनुज़प्ति देना- <sup>4</sup>[(1) प्राधिकारी उन वास्तुविदों, संरचना इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, नगर योजनाकारों, जियोहाईड्रोलॉजिस्टों, अग्नि शमन अधिकारियों, निर्माण इंजीनियरों, भूगर्भ यांत्रिकी इंजीनियरों, गुणवत्ता संपरीक्षकों, गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी तथा निर्माण प्रबंधन एजेन्सी को जिनके पास उपनियम (2) में अधिकथित न्यनतम अर्हताएं हों, परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रारूप में अनुज्ञप्ति

(2) किसी वास्तुविद इंजीनियर आदि को अनुज्ञप्ति देने के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता प्रत्येक के सामने कॉलम 2 में दी गई है-

क्र.	पदनाम	न्यूनतम अर्हता
(1)	वास्तुविद्	वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन पंजीकृत वास्तुविद्।
(2)	संरचना इंजीनियर का क्टाइटी का का	मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा इंजीनियर संस्था (भारत) या समकक्ष समुद्रपारीय संस्था के सिविल

अधिसूचना क्र. एफ-23-107-95-बत्तीस-1, दिनांक 7-4-2000 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिसूचना क्र. एफ. 7-18/2010/32, दिनांक 10-1-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE CHHATTISGARH BHUMI VIKAS RULES, 1984

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984

1		क. पदनाम		न्यूनतम अर्हता	
Designation	Minimum Qualification				
	Institution of Engineers (India) or equivalent overseas institution with 5 years experience in structural engineering practice with designing and field work.			इंजीनियरी डिवीजन में चार्ट इंजीनियर या सह सदस्य और संरचना इंजीनियरी पद्धित तथा डिजाईनिंग एवं क्षेत्र कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव	
	Post Graduate in Civil Engineering of recognised Indian or Foreign University with 3 years experience in structural engineering practice with designing or field work provided that the three years experience shall be relaxed to:  (a) Two years in case of post-graduate degree of recognised Indian or Foreign University with branch of Structural Engineering.  (b) One year in case of Doctorate in Structural Engineering.		· ·	मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संरचना इंजीनियरी पद्धित तथा डिजाइनिंग या क्षेत्र कार्य में तीन वर्ष का अनुभव परन्तु तीन वर्ष का अनुभव कम कर दिया जाएगा- (क) मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय की संरचना इंजीनियरिंग की शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि की दशा में दो वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा। (ख) संरचना इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की दशा में एक वर्ष का अनुभव अपेक्षित होगा।	
(3) Engineer	The Corporate Membership (Civil) of the Institution of Engineers (India) or such Degree or Diploma in Civil, Municipal or Structural Engineering which makes him eligible for such membership.	(3)	इंजीनियर	इंजीनियर संस्था (भारत) की कॉरपोरेट सदस्यता (सिविल) या सिविल नंगर पालिका या संरचना इंजीनियरी में ऐसी उपाधि या पत्रोपाधि जो उसे सदस्यता के लिए पात्र बनाती हो।	
(4) Supervisor	The qualification in Architecture or Engineering equivalent to the minimum qualification prescribed for direct recruitment to non-gazetted services as Architectural Assistant or sub-engineer by the Government of India or the State Government with 5 years experience in building design, construction and supervision.	(4)	पर्यवेक्षक	वास्तुकला या इंजीनियरिंग में ऐसी अर्हता जो भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा वास्तुविद् सहायक या उपयंत्री के रूप में अराजपत्रित सेवा में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के बराबर हो तथा भवन रूपांकन, निर्माण तथा पर्यवेक्षण में 5 वर्ष का अनुभव। या	
	or 3 years Diploma in Engineering (Civil) or in Architecture from recognised Board with 5 years experience in building design, construction and	Tan San	led Note:	मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंजीनियरिंग (सिविल) या वास्तुकला में 3 वर्ष की पत्रोपाधि तथा भवन रूपांकन निर्माण तथा पर्यवेक्षण में 5 वर्ष का अनुभव।	
(5) Town Planner	Associate Membership, of the Institute of Town Planner or Post Graduate Degree or Diploma in Town and Country Planning which makes him eligible for such membership or recognised by the State Government for the post of Assistant Director, Town Planning holding a degree in Architecture or Civil	. Sala	नगर योजनाकार	मान्यता प्राप्त नगर योजनाकार संस्था की सह सदस्यता या नगर तथा प्राम निवेश में स्नातकोत्तर उपिध या पत्रोपिध जो ऐसी सदस्यता का पात्र बनाती हो या जो वास्तुविद् या सिविल इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष उपिध धारक के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायक संचालक, नगर निवेश के पद के लिये मान्य हो : परन्तुं किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के किसी	
evenit de meste général	Engineering or equivalent thereto:  Provided that no person who immediately before the coming into force of these rules, in any area was holding a license from any Municipal Council for carrying out and			क्षेत्र में प्रवृत्त होने के तत्काल पूर्व किसी नगर पालिव निगम/नगरपालिका परिषद् से कोई अनुज्ञप्ति किसी भ ऐसे कार्य के कार्यान्वयन हेतु धारण कर रहा था, जो अ इन नियमों के अधीन पर्यवेक्षक की सक्षमता के अंतर्ग आता है प्रविश्वक के क्या में कार्य करते हेतु अनुच्य	

नियम 26 ]

	Designation	Minimum Qualification
	Designation	to work as Supervisor merely on the ground of qualification prescribed in the rule.
(6)	Geo Hydrologist	Post Graduate Degree in Hydrology from recognised
(7)	Fire Officer	Post Graduate Degree in Fire Fighting Engineering from recognised Institutions.
(8)	Construction Engineer	Post Graduate Degree in Construction Engineering and Construction Management from recognised
(9)	Geo Technical Engineer	Graduate or Post Graduate Degree in Geological Engineering from recognised Institution.
(10)	Quality Auditor	<ul> <li>(i) B.E. Civil or equivalent with five years experience in testing of building materials including concrete and/or experience in quality control work with a</li> </ul>
		reputed construction agency; or  (ii) M.E. Civil or equivalent with two years
		experience as above; or  (iii) Degree in Architecture or equivalent with a degree or diploma in construction management and five years of experience in quality control aspects of construction.
(11)	) Quality Audit Agency	(ii) Fifty percent partners of a partnership firm shall be Quality Auditor; and (iii) A designated officer of a limited company shall be a Quality Auditor.
(12	2) Construction Management Agency	(i) Owner of a proprietary firm shall be a

<sup>(3)</sup> Any person desirous of getting a licence under this rule shall apply to the Authority with attested copies of -

- (i) certificates on which the claim is based; and
- (ii) receipt in token of payment of licence fee.
- (4) The Authority granting a licence shall maintain a register giving therein the details of the person to whom licence is issued or renewed. and of three years and renewable for the

5.	पदनाम	. न्यूनतम अर्हता
		इन्कार नहीं किया जायेगा।
5)	जियो हाईड्रोलॉजिस्ट	मान्यता प्राप्त संस्था या हाइड्रोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाध तथा आई.आई.एच. संस्था की सदस्यता।
7)	अग्नि शमन अधिकारी	मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्नि शमन इजीनियारंग म स्नातकोत्तर उपाधि।
8)	कन्स्ट्रक्शन इंजीनियर	निर्माण इंजीनियरिंग तथा निर्माण प्रबंधन में मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि।
9)	भूगर्भ यांत्रिकी इंजीनियर	भूगर्भ इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त संस्थान से उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
10)	गुणवत्ता संपरीक्षक	(क) सिविल इंजीनियिरिंग में उपाधि तथा कांक्रीट सहित भवन निर्माण सामग्री के परीक्षण का 5 वर्ष का अनुभव और/या गुणवत्ता नियंत्रण कार्य का अनुभव किसी अच्छी निर्माण एजेन्सी का; अथवा
		(ख) सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि तथ उपरोक्तानुसार 2 वर्ष का अनुभव; अथवा
		<ul><li>(ग) वास्तुकला या समकक्ष तथा निर्माण प्रबंधन में उपा या पत्रोपाधि तथा निर्माण के विषय में गुणवत्ता नियंत्र</li></ul>
(11	<ol> <li>गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी</li> </ol>	का 5 वर्ष का अनुभव।  (क) प्रोपराइटर फर्म का स्वामी गुणवत्ता संपरीक्षक होग तथा
		(ख) भागीदारी फर्म के 50% भागीदार गुणव संपरीक्षक होंगे: तथा
		<ul><li>(ग) लिमिटेड कंपनी का नामित अधिकारी गुणव संपरीक्षक होगा।</li></ul>
(1	2) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी	<ul><li>(क) प्रोपराइटर फर्म का मालिक अनुज्ञप्त निम इंजीनियर होगा; तथा</li></ul>
		(ख) भागीदार फर्म के 50% भागीदार अनुज्ञप्त निम इंजीनियर होंगे; तथा
		<ul><li>(ग) लिमिटेड कंपनी का मनोनीत अधिकारी अनुः निर्माण इंजीनियर होगा।]</li></ul>

<sup>(3)</sup> इस नियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित की अभिप्रमाणित प्रति के साथ प्राधिकारी को आवेदन करेगा :--

- (एक) प्रमाण पत्र जिन पर दावा आधारित है, और
- (दो) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के प्रतीक स्वरूप रसीद।
- (4) अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाला प्राधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे लिये जायेंगे जिसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी हो या जिसकी अनुज्ञप्ति नवीकृत की गई है।
  - 1[(5) अनुज्ञप्ति तीन वर्षों के लिए विधिमान्य होगी और उसी अविध के लिए नवीनीकरण योग्य